संख्या-18/1423/18-2099/219/2024

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0 प्र0, कानपुर।

3- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 09 जुलाई, 2025

विषय:- उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 से पूर्व सैनिकों एवं होमगार्डस की सेवायें जेम पोर्टल से इतर/ सीधे लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों व उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, जेम की व्यवस्था को प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-02-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा अंगीकृत किया गया है। उ0प्र0 के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में मैनपॉवर सेवाओं(आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, जेम की व्यवस्था को लागू किये जाने के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18.12.2019 निर्गत किया गया, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग/मैनपावर सेवाओं को जेम पोर्टल से ही लिए जाने की अनिवार्यता की गयी है।

कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश के क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97 (ल0उ0)/2016 टी0सी0 दिनांक 25 अगस्त 2020 के माध्यम से जेम पोर्टल पर मैनपावर आउटसोर्सिंग हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। तदोपरान्त जेम संबंधी पूर्व में निर्गत सभी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए एक समेकित शासनादेश संख्या-57/18-02-2024-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 26 नवम्बर 2024 जारी किया गया है, जिसमें मैनपावर आउटसोर्सिंग सेवाओं को जेम पोर्टल के माध्यम से ही लिये जाने की अनिवार्यता लागू है।

2- अवगत कराना है कि नियोक्ता विभागों में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के स्थान पर पूर्व सैनिकों एवं होमगार्ड्स की सेवाएं अनिवार्य रूप से लिए जाने हेतु शासनादेश संख्या-2224/छ: नासु-09-390होगा/97 दिनांक 23.06.2009 निर्गत किया गया था। उक्त शासनादेश के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं आदि में आवश्यकतानुसार अनिवार्य रूप से दक्ष, अनुशासित एवं प्रशिक्षित पूर्व सैनिकों एवं होमगार्ड्स को सेवायोजित किये जाने की व्यवस्था लागू थी। उपर्युक्त शासनादेशों के अंतर्गत गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस, जेम की व्यवस्था लागू किये जाने के उपरांत पूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सैनिकों एवं होमगार्ड्स को सीधे सेवायोजित करने की व्यवस्था पर विराम लग गया और जेम के माध्यम से पूर्व सैनिकों एवं होमगार्ड्स के सेवायोजन हेतु निविदा में भाग लेने पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 से पूर्व सैनिकों एवं होमगार्डस की सेवायें जेम पोर्टल से इतर/ सीधे लिये जाने के संबंध में निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है:-

(1) नियोक्ता विभागों (यथा- सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, शैक्षिक संस्थाओं आदि) को यह विकल्प होगा कि वे जेम के माध्यम से अथवा जेम पोर्टल से भिन्न, उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 से सीधे सुरक्षा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

(2) मैनपावर के आउटसोर्स हेतु सर्विस चार्ज के रूप में उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 को अधिकतम 5 प्रतिशत की धनराशि अनुमन्य होगी।

(3) उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 सैनिक कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है। Private Security Agencies Regulation act 2005 के प्राविधान निगम पर लागू नहीं होते हैं। अतः निगम के संदर्भ में PSARA लाइसेंस अनिवार्य नहीं हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4- सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रबंध निदेशक, उ0 प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, उत्तर प्रदेश।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पुष्पेन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।